Inter-Ministerial Conference on Creating Self-Employment Opportunities

714. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether an Inter-Ministerial Conference has ever been held to consider in what fields each Ministry can create self-employment opportunities to the educated youth of the country ;

(b) whether consultations have ever been held with the State Governments to get practical suggestions from them ;

(c) if so, what was the outcome of such conferences ; and

(d) if not, the reasons therefor and whether Government would consider calling for such a Conference immediately to find practical solutions to the problem ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) The problem of unemployment and certain aspects of the question of activising the economy with a view to creating larger employment opportunities including those for self employment have been considered at a number of inter-ministerial meetings.

(b) to (d). A Conference of Chief Secretaries of the States is proposed to be convened in the near future to exchange views on the subject.

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का अध्ययन करने के लिये समिति

715. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सभी चीनी-कारखानों को सरकार के नियंत्रणाधीन लाने सम्बन्धी सभी समस्याओं पर विचार करने तथा गन्ना-उत्पादकों को न्यायोचित मूल्य दिलाने का निश्चय करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निदेश-पद क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 88 में संशोधन

716 **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **श्रम रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री चाहने वालों से प्रमाणपत्र लेने की शर्त के संबंध में 20 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का विचार इस सुझाव को व्यावहारिक रूप देने की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कम आय वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाये, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 88 के उद्देश्यों में संशोधन करने के बारे में पहल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) उम्मीदवारों को नियोजकों द्वारा निर्धारित योग्यताओं तथा उनकी कार्य क्षमताओं के आधार पर भेजा जाता है ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद

717. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :